सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 59 राँची, बुधवार

23 पौष, 1937 (श०)

13 जनवरी, 2016 (ई०)

कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

5 जनवरी, 2016

1. उपायुक्त, गिरिडीह का पत्रांक-132/गो0, दिनांक 01.02.2013
2. ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-1772/ग्रा0वि0, दिनांक 22.03.2013
3. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का विभागीय संकल्प संख्या-3490, दिनांक 25.04.2013
4. विभागीय जाँच पदाधिकारी का पत्रांक-452, दिनांक 27.08.2014

संख्या-5/आरोप-1-433/2014 का॰-69--श्रीमती निशा कुमारी सिंह, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला- राँची), के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, देवरी, गिरिडीह के पद पर कार्यावधि से संबंधित आरोप ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1772/ग्रा0वि0, दिनांक 22 मार्च, 2013 के माध्यम से उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-

1217/गो0, दिनांक 30 जुलाई, 2012 द्वारा प्रपत्र- 'क' में गठित कर उपलब्ध कराया गया है।

प्रपत्र- 'क' में इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप हैं:-

<u>आरोप सं0-1.</u> उपायुक्त, गिरीडीह के देवरी प्रखण्ड कार्यालय के निरीक्षण के क्रम में यह बात प्रकाश में आई थी कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में ग्राम पंचायत सलैयाडीह के इंदिरा आवास के लाभुकों की सूची बैंक खाता सहित दिनांक-29 नवम्बर, 2011 को चेक संख्या- 002946, 002963 एवं 002964 के द्वारा भुगतान हेतु एडवाईस के माध्यम से शाखा प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक, मण्डरो को भेजी गयी, जबकि ग्राम सभा पंजी के अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि लाभुकों का चयन दिनांक 7 दिसम्बर, 2012 को आयोजित ग्राम सभा में किया गया है। इस प्रकार श्रीमती सिंह के द्वारा ग्राम सभा में लाभुकों के चयन के पूर्व ही उनके खाते में इंदिरा आवास के प्रथम किस्त की राशि भेज दी गयी, जो इंदिरा आवास योजना की मार्गदर्शिका का उल्लंघन है।

<u>आरोप सं0-2.</u> मामले की जाँच जिला कल्याण पदाधिकारी एवं कार्यपालक पदाधिकारी, राष्ट्रीय बचत, गिरिडीह से कराई गयी थी। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया था कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, देवरी के द्वारा एडवाइस निर्गत तिथि एवं बैंक में एडवाइस प्राप्ति तिथि में महीनों का अंतर था। उदाहरण स्वरूप प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, देवरी के द्वारा चेक संख्या-002930 से 3,60,000/- रूपये की राशि बैंक ऑफ इंडिया, हिरोडीह को पत्रांक-785, दिनांक 29 नवम्बर, 2011 के द्वारा भेजी गयी थी, परंतु जाँच टीम द्वारा प्रतिवेदन समर्पित करने की तिथि 17 फरवरी, 2012 तक चेक बैंक को प्राप्त नहीं हुआ था। इसी तरह के कई अन्य मामले पाये गये हैं। स्पष्ट है कि गलत मंशा से एडवाईस बैंकों को हस्तगत नहीं कराया गया था।

<u>आरोप सं0-3.</u> श्रीमती सिंह ने अपने पत्रांक-48, दिनांक 29 नवम्बर, 2011 के द्वारा उपायुक्त को प्रतिवेदित किया था कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में इंदिरा आवास योजना के लाभुकों के खाते में प्रथम किस्त की राशि बैंक एडवाइस के माध्यम से बैंकों को

स्थानांतरित कर दी गयी है और संबंधित एडवाइस की छायाप्रति संलग्न की गयी थी। परंतु जाँच दल के द्वारा पाया गया था कि तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, देवरी के द्वारा सिर्फ एडवाइस तैयार कर उसकी छायाप्रति उपायुक्त को भेजी गयी थी। उक्त एडवाइस का चेक निर्गत ही नहीं किया गया था। उदाहरणस्परूप, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, देवरी के पत्रांक-790, दिनांक 2 दिसम्बर, 2011 के द्वारा बैंक ऑफ इंडिया, मकडीहा को पाँच लाभुकों के खाते में राशि स्थानांतरित करने हेतु 1,12,500 रूपये का एडवाइस निर्गत किया गया, जिसमें चेक संख्या- 002976, दिनांक 2 दिसम्बर, 2011 दर्शाया गया, परंतु उक्त चेक संख्या का चेक प्र0वि0पदा0, देवरी द्वारा हस्ताक्षरित ही नहीं किया स्पष्ट है कि श्रीमती सिंह के द्वारा अपने नियंत्री पदाधिकारी को गुमराह करने एवं अपने स्वार्थ हेतु झूठा प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

<u>आरोप सं0-4.</u> श्रीमती सिंह अक्सर अनधिकृत रूप से प्रखण्ड मुख्यालय, देवरी से अनुपस्थित रहती थी तथा उनके द्वारा गिरिडीह शहर में रहकर ही प्रखण्ड कार्यालय का संचालन किया जाता था।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय संकल्प संख्या-3490, दिनांक 25 अप्रैल, 2013 द्वारा श्रीमती सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी जिसमें श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्ति किया गया। श्री सिन्हा के पत्रांक-452, दिनांक 27 अगस्त, 2014 द्वारा श्रीमती सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। विभागीय कार्यवाही के दौरान आरोपी पदाधिकारी श्रीमती सिंह समर्पित बचाव बयान में निम्नवत् तथ्य अंकित किये गये हैं:-

<u>आरोप सं0-1 पर बचाव बयान.</u> आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के पत्रांक-909, दिनांक 11 जून, 2011 द्वारा गिरिडीह जिले के सभी प्रखंडों को इंदिरा आवास योजना 2011-12 का लक्ष्य आवंटित किया गया था। इसी आदेश के द्वारा देवरी प्रखण्ड को भी वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए 374 इकाई इंदिरा आवास

निर्माण करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। इसी आवंटन पत्र के आलोक में आरोपी पदाधिकारी ने सभी ग्राम पंचायतों को इंदिरा आवास योजना की मार्गदर्शिका के आलोक में स्थायी प्रतीक्षा सूची से लाभुकों का चयन करने का आदेश निर्गत किया था। उसके पश्चात् ही पूर्व निर्धारित स्थान एवं तिथि की पूर्व सूचना के आधार पर प्रसंगाधीन ग्राम पंचायत सलैयाडीह में इंदिरा आवास योजना के लाभुकों के चयन हेतु दिनांक 22 अक्टूबर, 2011 को ग्राम सभा की बैठक की गयी थी। यह आम सभा चितरोकुरहा ग्राम के सामुदायिक भवन में की गयी थी, जिसकी अध्यक्षता पंचायत के मुखिया ने की थी। तद्नुसार उपलब्ध कराये गये लाभुकों की सूची में पंचायत सेवक द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि सभी लाभुकों का नाम ग्राम सभा से अनुमोदित है। इस ग्राम सभा, जिसे वैधानिक मान्यता प्राप्त है, से अनुमोदित सूची के आधार पर संबंधित सहायक, प्रधान सहायक एवं नाजीर के जाँचोपरांत चयनित लाभुकों को इंदिरा आवास के प्रथम किस्त के भुगतान हेतु एडवाइस एवं चेक कार्यालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसे दिनांक 29 नवम्बर, 2011 को शाखा प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक, मंडरो को भेज दिया गया था। इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गयी थी। दूसरी ओर, दिनांक-07 दिसम्बर, 2011, 08 दिसम्बर, 2011 एवं 9 दिसम्बर, 2011 के कथित ग्राम सभा के संबंध में आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि उक्त ग्राम सभा बिचौलियों के द्वारा निहित स्वार्थवश किया गया था। इस फर्जी ग्राम सभा की कार्यवाही पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि इस सभा की अध्यक्षता यद्यपि मुखिया ने की थी, पर सभा का समापन उप मुखिया ने किया था। दिनांक 8 दिसम्बर, 2011 के ग्राम सभा की कार्यवाही का धन्यवाद ज्ञापन के साथ मुखिया द्वारा किया गया उल्लिखित है, जबकि उस स्थान पर मुखिया का हस्ताक्षर नहीं है। साथ ही, दिनांक 7 दिसम्बर, 2011, 08 दिसम्बर, 2011 एवं 09 दिसम्बर, 2011 के फर्जी ग्राम सभा का कोई अनुरोध पत्र प्रखण्ड कार्यालय से निर्गत नहीं किया गया था, अतः इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। उपायुक्त महोदय द्वारा दिनांक 7 दिसंबर, 2011 के फर्जी ग्राम सभा का संज्ञान लिया गया, परन्तु 08 दिसंबर, 2011 एवं

9 दिसंबर, 2011 के फर्जी ग्राम सभा को गौण रखा गया, यह विचारणीय है। जिला समाहरणालय अथवा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गिरिडीह के द्वारा दिनांक 7 दिसंबर, 2011 के ग्राम सभा की कार्यवाही पंजी, जो सीधे जिला समाहरणालय को उपलब्ध करायी गयी थी, की सत्यता की जाँच किए बगैर आरोपी पदा0 के विरूद्ध आरोप गठित कर दिये गये। जहाँ तक दिनांक 22 अक्टूबर, 2011 की ग्राम सभा में लाभुकों के नाम में बाद में लिप्त लेखन का आरोप है, इस संबंध में कहना है कि सलैयाडीह पंचायत के मुखिया ही इसका उत्तर दे सकते हैं, जिनकी अध्यक्षता में ग्राम सभा हुई थी एवं जिनके द्वारा कार्यवाही हस्ताक्षरित है। इस manipulation के लिए आरोपी पदाधिकारी उत्तरदायी नहीं हैं।

<u>आरोप सं0-2 पर बचाव बयान.</u> आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि उन्होंने सुयोग्य लाभुकों का बैंक एडवाईस एवं चेक यथाशीघ्र हस्ताक्षरित कर दिया थां साथ ही, को स्पष्ट निदेश दिया था कि इस बैंक एडवाइस एवं चेक को हस्ताक्षर के दिन ही संबंधित बैंकों को हस्तगत करा दिया जाय। इसकी जानकारी आरोपी पदाधिकारी को भी नहीं हुई कि उनके हस्ताक्षर एवं निदेश के बावजूद प्रखण्ड श्री ज्योर्तिनाथ मंडल ने आदेश का अनुपालन नहीं किया था। स्पष्टतः विलंब के लिए आरोपी पदाधिकारी नहीं, बल्कि प्रखण्ड नाजीर श्री मंडल उत्तरदायी थे। आरोपी पदाधिकारी का आगे कहना है कि जैसे ही चेक एवं बैंक एडवाइस को बैंक में प्राप्त नहीं कराये जाने की बात उनके संज्ञान में आई, उन्होंने अपने ज्ञापांक-42/मु0, दिनांक 21 फरवरी, 2012 द्वारा प्रखण्ड नाजीर श्री ज्योर्तिनाथ मंडल से स्पष्टीकरण पूछा था, जिसकी प्रतिलिपि उपायुक्त/उप विकास आयुक्त/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गिरिडीह को भी दी थी। परंतु उक्त नाजीर ने आज तक न तो कोई स्पष्टीकरण ही दिया और न ही उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त के द्वारा आरोपी पदाधिकारी के पत्र का कोई संज्ञान लिया गया। इस प्रकार उपायुक्त महोदय का यह मंतव्य कि आपराधिक मनोवृत्ति वाले नाजीर के विरूद्ध आरोपी पदाधिकारी के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, यह तथ्यों के विपरीत है। आरोपी पदाधिकारी ने कार्रवाई की

थी, यदि कहीं शिथिलता बरती गयी, तो वह शिथिलता जिला स्थापना शाखा के द्वारा बरती गयी थी।

<u>आरोप सं0-3 पर बचाव बयान.</u> आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि प्रश्नगत चेकों पर हस्ताक्षर करने के पूर्व इन्हें उक्त पाँच लाभुकों के गलत चयन की शिकायत प्राप्त हुई थी। तद्नुसार इन लाभुकों की जाँच पूरी होने तक चेक हस्ताक्षर करने एवं एडवाइस भेजने की प्रक्रिया को रोक दिया था, परंतु इन पाँच लाभुकों के चेक एवं एडवाइस भेजने संबंधी प्रतिवेदन जिला मुख्यालय को पहले दिया जा चुका था। फिर भी चेक रोकने की बात का पूरक प्रतिवेदन जिला मुख्यालय को समर्पित नहीं किया था, क्योंकि आरोपी पदाधिकारी को आशा थी कि दो-तीन दिनों में जाँच पूरी हो जाएगी। यदि जाँचोपरांत लाभुक गलत निकलते तो उनका चेक निरस्त कर दिया जाता और उनके सही पाए जाने पर उनका चेक हस्ताक्षर कर बैंक में भेज दिया जाता। आरोप संख्या-2 के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्टीकरण विरोधाभासी नहीं है। दोनों बातें दो अलग-अलग मामलों से संबंधित हैं। पहली बात तो यह कि आरोपी पदा0 द्वारा निर्गत किए गए चेक एवं एडवाइस में कुछ का ही मामला तथाकथित विवाद में है। जहाँ तक चेक नं0-002930 का प्रश्न है, वह नाजीर के द्वारा दबाकर रखा गया था, ताकि बिचौलियों से साँठ-गाँठ कर सके एवं जिसके संज्ञान में आने पर आरोपी पदाधिकारी ने पत्रांक-42/मु0, दिनांक-21.02.2012 द्वारा से स्पष्टीरण पूछा था, जैसा कि कंडिका-2 में स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार वरीय पदाधिकारी को गलत प्रतिवेदन देने का आरोप सही नहीं है।

<u>आरोप सं0-4 पर बचाव बयान.</u> आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि वे प्रखण्ड कार्यालय, देवरी में योगदान (दिनांक-11 मई, 2011) के समय से ही प्रखण्ड मुख्यालय में रहती आ रही हैं। अपने कार्यकाल के दौरान इनके द्वारा मुख्यालय में रहने का भरपूर प्रयास किया गया था। अभी भी साक्षरता भवन में घरेलू सामान, पलंग इत्यादि पड़े हुए हैं। जब इंदिरा आवास योजना का नया लक्ष्य और आवंटन प्रखण्ड को प्राप्त हुआ, तब बिचौलियों का उपद्रव बहुत ज्यादा बढ़ गया। इनके द्वारा राजनीतिक दबाव दिलवाया जाने लगा तथा ये अभद्र व्यवहार करने लगे। इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए उपायुक्त एवं

आरक्षी अधीक्षक से गुहार लगाई, परंतु उन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिली। विदित है कि देवरी प्रखण्ड नक्सल प्रभावित प्रखण्ड है। अतः आरोपी पदाधिकारी प्रखण्ड मुख्यालय की सीमा (ग्राम-बरवाबाद, टोला-भांड्रो) में ही रहकर कार्य करने लगी थी और कभी भी प्रखण्ड मुख्यालय के बाहर आवासन नहीं किया था। उपायुक्त, गिरिडीह के ज्ञापांक- 966/गो0, दिनांक 31 मई, 2011 के द्वारा आरोपी पदाधिकारी पर अनुपस्थित रहने का स्पष्टीकरण पूछे जाने के संबंध मेँ आरोपी पदा0 का कहना है कि इनके पत्रांक-428, दिनांक 9 जून, 2011 के द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया कि ये दिनांक 31 मई, 2011 को जिला मुख्यालय गयी थी, ताकि रोकड़-बही संधारण एवं नाजीर की वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत उच्चाधिकारियों से कर सके, जैसा कि आरोपी पदा0 ने कंडिका-2 में वर्णित किया है। पुनः, उपायुक्त के पत्रांक-2214/ गो0, दिनांक 27 दिसंबर, 2011 के स्पष्टीकरण के संबंध में कहना है कि आरोपी पदा0 ने पत्रांक-कैम्प 02, दिनांक 31 दिसंबर, 2011 के द्वारा स्पष्ट कर दिया था कि आरोपी पदाधिकारी के कार्यालय में वाद पर प्रति शपथ पत्र तैयार करने हेतु पत्र आया था, जिसका तथ्यात्मक विवरणी बनाने के लिए आरोपी पदा0 को प्राधिकृत किया गया था। संबंधित मामले में विमर्श के लिए आरोपी पदाधिकारी को अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह ने अपने कार्यालय में दिनांक 26 दिसंबर, 2011 को बुलाया था। मामला माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित होने के कारण बहुत की महत्त्वपूर्ण था। इसलिए आरोपी पदाधिकारी ने प्राथमिकता देते हुए दिनांक 26 दिसंबर, 2011 को अनुमंडल पदा0 के कार्यालय गिरिडीह गई थी। आरोपी पदा0 का कहना है कि दिनांक-13 जनवरी, 2012 को उपायुक्त महोदय के द्वारा आरोपी पदाधिकारी के प्रखण्ड कार्यालय, देवरी का औचक निरीक्षण नहीं किया गया था। यह औचक निरीक्षण दिनांक 13 फरवरी, 2012 को आरोपी पदाधिकारी विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल कार्यालय, हजारीबाग में थी। आरोपी पदा0 द्वारा इस संबंध में अवकाश अनुमति आवेदन-पत्र दिनांक 10 फरवरी, 2012 दे दिया गया था।

विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरान्त विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा दिये गये प्रतिवेदन का सार निम्नवत् हैं:-

<u>आरोप सं0-1 का जाँच-प्रतिवेदन.</u> उपायुक्त, गिरिडीह ने आरोपी पदाधिकारी के दावे का खंडन नहीं किया है, बल्कि वे अपने मंतव्य में दिनांक 7 दिसंबर, 2011 के ग्राम सभा को ही विधिसंगत करार देते हुए पदाधिकारी के दावे को अस्वीकार करते हैं। वास्तव में यह विवाद तथ्यों की भूल के कारण उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा प्रायोजित ग्राम सभा वैध कही जा सकती है, क्योंकि आरोपी पदाधिकारी ने प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की हैसियत से उस ग्राम सभा में पारित प्रस्तावों के अनुरूप अग्रतर कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के संपन्न की थी। औचक निरीक्षण के पश्चात् प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से निरीक्षण में पाए गए तथ्यों को संपुष्ट कराने के बाद ही उपायुक्त को किसी निष्कर्ष पर पहुँचना था। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी से बिना पूर्व संपुष्टि के ही आगे की दंडात्मक कार्यवाही प्रारंभ कर दी, जो न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं।

<u>आरोप सं0-2 का जाँच-प्रतिवेदन.</u> आरोपी पदाधिकारी ने एडवाइस और चेकों के हस्ताक्षरण में तालमेल नहीं रहने का कारण कतिपय अनियमितताओं को बतलाया है, जो सामान्य तर्क से भी स्वीकार्य नहीं है। आरोपी पदाधिकारी ने अपने दावे के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जो चेकों के कथित विलंब को विधिसम्मत व तर्कसम्मत ठहराता हो। आरोप प्रमाणित होते हैं।

<u>आरोप सं0-3 का जाँच-प्रतिवेदन.</u> यह आरोप भी आरोप संख्या-2 की तरह है। बैंक को एडवाइस एवं चेक भेजे जाने की तिथि में महीनों का अंतर पाया गया था। आरोपी पदाधिकारी इसका कारण लाभुकों की सुपात्रता संदिग्ध होना बतलाते हैं। जाँच-पदाधिकारी ने प्रखण्ड नजारत में ऐसे कई दृष्टांत उद्धृत किए हैं और तत्कालीन देवरी प्रखण्ड नजारत के लिए इसे नियमित घटना बतलाई है। किसी भी भुगतान का निर्णय हो जाने के भुगतान किसी frivolous कारण से विलंबित कर देना स्वतः संदेह की ओर इशारा करता

है। आरोपी पदाधिकारी इस आरोप का कोई विधिसम्मत तर्कपूर्ण उत्तर नहीं दे सकी हैं। आरोप प्रमाणित होते हैं।

<u>आरोप सं0-4 का जाँच-प्रतिवेदन.</u> कथित अनधिकृत अनुपस्थिति के दो दृष्टांतों (दिनांक 31 मई, 2011 एवं दिनांक 26 दिसंबर, 2011) में आरोपी पदा0 जिला मुख्यालय में ही थीं, जिले से बाहर नहीं थीं और जिला मुख्यालय में भी किसी सरकारी कार्य के सिलसिले में ही गई थीं आरोपी पदाधिकारी राज्य प्रशासनिक सेवा की एक राजपत्रित एवं जिम्मेदार पदाधिकारी हैं। प्रखण्ड के प्रभारी पदाधिकारी होने के नाते उन्हें अपनी स्वेच्छा से जिले के विभिन्न उच्चाधिकारियों से संपर्क करने एवं विचार-विमर्श करने का अंतनिर्हित अधिकार है। उनके लिए अपने जिला मुख्यालय के हर भ्रमण के लिए लिखित अनुमति की बाध्यता नहीं हो सकती, अन्यथा जिला प्रशासन अपने दायित्वों को निभाने में असमर्थ हो जाएगा। एक राजपत्रित व प्रशासनिक पदाधिकारी पर इतना विश्वास राज्य सरकार को करना आवश्यक व व्यवहारिक है। देवरी प्रखण्ड गंभीर रूप से उग्रवाद प्रभावित प्रखण्ड है। प्रखण्ड परिसर अवस्थित सरकारी आवास आवासन योग्य नहीं बतलाया गया है। आरोपी पदा0 पास के किसी सरकारी भवन को अपने आवास के रूप में उपयोग करती बतलाई हैं पुनः उन्होंने प्रखण्ड क्षेत्र में ही किसी सुरक्षित स्थान का उपयोग करने का दावा किया है। उपायुक्त ने इन दावों का खण्डन नहीं किया है। एक महिला पदाधिकारी ने उग्रवाद प्रभावित प्रखण्ड में अपने सुरक्षित आवास की व्यवस्था कर उसने अपने प्राथमिक दायित्व का निर्वहन ही किया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में, मुख्यालय से बाहर रहने एवं अनधिकृत अनुपस्थिति के आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं।

श्रीमती सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच-प्रतिवेदन की समीक्षा की गई, जिसका सार निम्नवत् है:-

संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा उपायुक्त को गलत प्रतिवेदन दिया गया है कि इंदिरा आवास योजना के लाभुकों के खाते में प्रथम किस्त की राशि बैंक एडभाईस के माध्यम से बैंकों को स्थानांतरित कर दी गयी

है जबकि एडभाईस के आलोक में चेक निर्गत नहीं किया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा यह मंतव्य गठित किया गया है कि किसी भी भुगतान का निर्णय हो जाने के भुगतान किसी frivolous कारण से विलंबित कर देना स्वतः संदेह की ओर इशारा करता है। इसी प्रकार, आरोप सं0-2 के मामले में यह प्रमाणित है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा तीन लाख साठ हजार रूपये का चेक बैंक ऑफ इण्डिया, हिरोडीह को पत्रांक-785, दिनांक 29 नवम्बर, 2011 को भेजी गयी थी, परन्तु दिनांक 17 फरवरी, 2012 तक चेक बैंक को प्राप्त नहीं हुआ था। संचालन पदाधिकारी द्वारा इस आरोप को प्रमाणित बतलाया गया है तथा स्पष्ट किया गया है कि इन्होंने अपने दावे के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जो चेकों के कथित विलंब को विधिसम्मत व तर्कसंगत समझा पाते। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि इंदिरा आवास योजना के लाभुकों को बैंक का एडभाईस भेजकर चेक उपलब्ध नहीं कराना तथा उपायुक्त को गलत प्रतिवेदन देने का आरोप प्रमाणित हैं।

उक्त प्रमाणित आरोपों हेतु श्रीमती सिंह के परीक्ष्यमान (Probation) को समाप्त (Terminate) करने का दण्ड प्रस्तावित किया गया, जिसके लिए विभागीय पत्रांक-8903, दिनांक 09 अक्टूबर, 2015 द्वारा श्रीमती सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी तथा पत्रांक-9720, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 एवं पत्रांक-10215, दिनांक 3 दिसम्बर, 2015 द्वारा स्मारित किये जाने के पश्चात् श्रीमती सिंह द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया, जिसमें निम्नवत् तथ्य दिये गये हैं:-

मात्र 13 सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद इनका पहला पदस्थापन पेटरवार, बोकारो में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचलाधिकारी के पद पर किया गया। उसके तुरंत 4 माह बाद प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, देवरी, गिरिडीह के पद पर इनका स्थानांतरण कर दिया गया। इनके पूर्ववर्ती पदाधिकारी द्वारा रोकड़ पंजी तैयार नहीं किया गया, जिसकी सूचना उपायुक्त, गिरिडीह को भी दी गयी थी। प्रखण्ड में बिचौलियों की पकड़ पूर्व से ही हावी थी तथा नाजीर एवं बिचौलियों की मिलीभगत थी। जब इनके संज्ञान में यह बात आई कि नाजीर द्वारा चेक बैंक में जमा नहीं किया गया है, तो इन्होंने तुरंत उनसे कारण पृच्छा की परन्तु उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इनके द्वारा पूर्ववर्ती पदाधिकारी के

सही कार्यप्रणाली नहीं रहने के कारण, अनुभव की कमी एवं अल्प प्रशिक्षण मिलने के कारण कर्तव्य निर्वहन में यदि कोई चूक हुई है, तो उसके क्षमा याचना की गयी है।

श्रीमती सिंह से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि चेक निर्गत होने के बाद इंदिरा आवास के लाभुक, जो कि समाज के गरीब तबके के लोग हैं, को इसका लाभ नहीं मिलना गंभीर आरोप है। यह भी सही है कि नये पदाधिकारी होने के नाते कार्यालय में पकड़ कम हो सकती है, परन्तु के कार्यों पर नजर रखना प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का ही कर्तव्य होता है।

समीक्षोपरान्त, उक्त प्रमाणित आरोपों हेतु श्रीमती सिंह को सेवा सम्पुष्टि की अर्हता प्राप्त करने की तिथि से तीन वर्षों के लिए परीक्ष्यमान अवधि को विस्तारित करने का दण्ड दिया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्रीमती निशा कुमारी सिंह, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दिलीप तिर्की,

सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 59—50 ।